

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालावाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम पिडावा जमाबंदी सं 2014-77 के खाता में दर्ज खातेदारान ने BRKGB शाखा पिडावा से कृषि ऋण लिया था जिसका जमाबंदी में इन्द्राज है। वर्तमान में भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 से BRKGB का नाम परिवर्तित होकर RGB हो गया है। अतः अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाये।

खाता सं.	वर्तमान खतौनी अनुसार खाते की संक्षिप्त प्रविष्टि	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	4	5
95	कमलखिंडे श्री. अणुखिंडे कर्म. श्री. 11-15	BRKGB शाखा पिडावा	RGB शाखा पिडावा

शाखा प्रबंधक
BRKGB शाखा पिडावा

रिपोर्ट पटवारी

महोदय, वादी/प्रार्थी के वादपत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 अनुसार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज BRKGB शाखा पिडावा के स्थान पर RGB शाखा पिडावा शुद्ध करने योग्य है।

17/2/26
हस्ताक्षर पटवारी
प०म०.....

163
19/2/26

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

महोदय, पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

भू0अभिलेख निरीक्षक 17/2/26
ए. भू0अ0नि0वृ०.....

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

कमांक: राजस्व/2026/163

दिनांक : 19/2/26

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज इन्द्राज BRKGB शाखा पिडावा के स्थान पर RGB शाखा पिडावा शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार
तह. पिडावा जिला झालावाड
तहसील पिडावा

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

कमांक: राजस्व न्यायालय/2026/34

दिनांक : 20/02/26

भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 एवं तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट के आधार पर वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज BRKGB शाखा पिडावा के स्थान पर RGB शाखा पिडावा दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में BRKGB शाखा पिडावा के स्थान पर RGB शाखा पिडावा इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
राजपत्र अधिकांश
पिडावा, जिला झालावाड

